HAMIRPUR POLICE

थाना मुस्करा **दिनांक 27.05.2022**

हत्या का खुलासा, वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध तमंचा/कारतूस व आला कत्ल बरामदः-

अवगत कराना है कि दिनांक 10.05.2022 को थाना मुस्करा क्षेत्र अंतर्गत शिवनी डेरा में नत्थु डेरा के पास परशुराम के खेत में गड्डा से जंगली जानवरों द्वारा छत-विछत हुआ अज्ञात शव बरामद हुआ था जिसका प्रचार-प्रसार कर शिनाख्त करने का प्रयास किया तो मृतक के पुत्र हरगोविन्द व पत्नी सुमन व छोटे भाई प्रभुदयाल की पत्नी ने अज्ञात नर कंकाल की बनियान व अण्डरवियर व हाथ के अंगूठे की पहचान से मृतक मूलचन्द्र के रुप में किया, जिसके सम्बन्ध में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना मुस्करा पर दिनाँक 10/12/2021 को धारा 365 आईपीसी का अभियोग पूर्व से पंजीकृत था, मृतक की शिनाख्त होने पर परिजनों द्वारा हत्या की तहरीर दी गई जिसके आधार पर मु0अ0सं0 280/2021 में 302/201 आईपीसी तरमीम की गई, घटना के खुलासे हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा निर्देश दिए गए थे इसी क्रम में थाना मुस्करा पुलिस द्वारा गहन विवेचना के दौरान **प्रकाश में आये अभियुक्त कल्लू पुत्र खूबचन्द्र राजपूत निवासी ग्राम उपरहका थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर** उम्र 33 वर्ष के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश दी गयी, जैसे ही पुलिस टीम उपरहका गाँव से पहले विरमा नदी के पास पहुँची तो अभियुक्त कल्लू मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस को देख कर पीछे मुड़कर भागने लगा तो वहीं पर मोटरसाइकिल से गिर गया जब पुलिस टीम अभियुक्त को पकडने के लिए उसके पीछे भागी तो अभियुक्त द्वारा भागते हुए जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया फिर भी साहस का परिचय देते हुए पुलिस टीम द्वारा अपने बचाव में एक राउण्ड फायर कर अभियुक्त को घेरकर पकड लिया गया। अभियुक्त कल्लू के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .315 वोर बरामद हुआ। पूछताछ करने पर अभियुक्त कल्लू द्वारा बताया गया कि करीब 06 माह पूर्व मूलचन्द्र पुत्र रामरतन को शराब पिलाने की बात कहकर हार(खेत) मे ले गया। मूलचन्द द्वारा उसकी पत्नी के साथ छेडखानी के आगोश में कल्लू ने अपने भाई नारायण उर्फ नरेन्द्र के साथ मिलकर डण्डे से पीटकर मूलचन्द्र को जान से मार दिया, मौके पर खेत में ही कुछ दूरी पर कल्लू की माँ सुशीला उर्फ जयदेवी पत्नी खूबचन्द्र खेत में मूँगफली उखाड रही थी जब वह देखी कि मूलचन्द्र मर गया है तो एक दूसरे के सहयोग से लाश को खेत में छिपा दिये। दूसरे दिन अभियुक्त कल्लू भोगनीपुर भट्ठे पर चला गया करीब 15 दिन के बाद लाश बदबू देने लगी तो उसके भाई नारायण उर्फ नरेन्द्र ने अभियुक्त कल्लू को बताया कि लाश से बदबू आ रही है तो कल्लू व नारायण उर्फ नरेन्द्र ने उस लाश को अपने खेत से निकालकर खेत के पास ही जंगल में गड्डा खोदकर दबा दिया। फिर कुछ दिन बाद उस स्थान पर जंगली जानवरों द्वारा खोदे जाने पर कल्लू की माँ व भाई ने कल्लू को सूचित किया कि लाश को जंगली जानवर खोद रहे है बाहर आ जायेगी तो सब को जानकारी हो जायेगी तब कल्लू पुनः आया और अपने भाई की मदद से लाश को खोदकर बोरे में भरकर शिवनी डेरा में नत्थु डेरा के पास परशुराम के खेत में गड्डा खोदकर दबा दिया था, जिसे जंगली जानवरों द्वारा खोदे जाने पर ग्रामीणों को पता चला। उपरोक्त सूचना पर मुस्करा पुलिस द्वारा शव की पहिचान कराकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई गई,

अभियुक्त कल्लू उपरोक्त द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना मुस्करा पर मु0अ0सं0 81/2022 धारा 307 आईपीसी व मु0अ0सं0 82/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

कल्लू पुत्र खूबचन्द्र राजपूत निवासी ग्राम उपरहका थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर उम्र 33 वर्ष,

बरामदगी:-

1.01 तमंचा .315 बोर

2. 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 कारतूस खोखा .315 वोर

3.01 अदद फावड़ा

4.01 डण्डा

अभियुक्त कल्लू का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 362/14 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मुस्करा, हमीरपुर।

2. मु0अ0सं0 279/14 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान व खनिज विभाग विनिमय अधिनियम व 3/5/7/70 उ0प्र0 खनिज परिहार्य नियमावली थाना मुस्करा, हमीरपुर

3.मु0अ0सं0 270/14 धारा 147/148/149/307/332/353/427 आईपीसी व 7 सीएलए एक्ट थाना मुस्करा, हमीरपुर

4.मु0अ0सं0 898/2015 धारा 387/504 आईपीसी थाना मुस्करा, हमीरपुर

5.मु0अ0सं0 25/16 धारा 380 आईपीसी थाना मुस्करा, हमीरपुर

6.मु0अ0सं0 154/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा, हमीरपुर

7.मु0अ0सं0 104/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा, हमीरपुर

8. मु0अ0सं0 280/2021 धारा 365/302/201 आईपीसी थाना मुस्करा,हमीरपुर

9.मु0अ0सं0 81/2022 धारा 307 आईपीसी थाना मुस्करा, हमीरपुर

10.मु0अ0सं0 82/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा, हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्र0नि0 विनोद कुमार

2.उ0नि0 नरेन्द्र सिंह

3.हे0का0 रजत सिंह

4.हे0का0 नन्द किशोर पाण्डेय

5.हे0का0 अवधेश कुमार

6.का0 पंकज मौर्य